डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No.HQ/PIO/RTI/158/13 **Date: 06.09.2013**

Sh. Ajeet Singh
S/o Sh. Devi Prasad Kushwaha,
10/2, Juhi Safed Colony,
Kanpur-208014.

Sub: Information under RTI Act – 2005
Ref: Your Application dt. 15.06.2013 received in this office on 04-07-2013.

उपरोक्त के सम्बन्ध मे सम्बन्धित विभाग से प्राप्त मदवार सूचना निम्नलिखित है :–

मद सं0 1 — आपको अवगत कराना है कि आपकी भूमि ग्राम अम्बियापुर गाटा सं0 236 का अधिग्रहण हेतु दो बार गजट नोटिफिकेशन किया गया था पहला गजट नोटिफिकेशन दिनांक 10.06.2008 एवं दूसरा गजट नोटिफिकेशन 03.11.2010 को किया गया था।

मद सं0 2. — आपके गाटा सं0 236 का दो बार गजट नोटिफिकेशन के होने के कारण दोनो की प्रतिकर निर्धारण की दर में भी अंतर है। प्रथम गजट नोटिफिकेशन में दर वर्ष 2006 तथा दूसरे नोटिफिकेशन की दर का निर्धारण 2010 की जारी जिलाधिकारी मूल्यांकन सूची के अनुसार किया गया है।

(a) & (b) — आपका कथन सत्य है।

मद सं0 3 — शासन द्वारा जारी शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–1, संख्या 79/एक–1–2012–5(2)/2012 लखनऊ दिनांक 31.05.2012 के आदेश के कम में सरकारी कोष में जमा की जाने वाली राशि के चालान की प्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं (संलग्नक–1)।

मद सं0 4 — आप जिस Public Information Brochure का संदर्भ दे रहा है वह रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 का हिस्सा नही है। जबकि भूमि अधिग्रहण की संपूर्ण प्रकिया का आधार रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 है। इसके अतिरिक्त आप मौलिक पात्रता के जिस पैरा A-1(iii) का संदर्भ दे रहे हैं, वह मौलिक पात्रता के अनुसार प्राईवेट भूमि के लिये है न कि सरकारी भूमि के लिए। आप यदि अंसतुष्ट है तो रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 में मध्यस्थता का प्रावधान है। जिसके लिये आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर को नामित किया गया है। अतः आप एक आवेदन आर्बीट्रेटर महोदय, अर्थात आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर को प्रेषित कर सकते है।

मद सं0 5 — आप को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिकर के दर का निर्धारण आपकी मांग के आधार पर नही अपितु राजस्व अभिलेखों के आधार पर एवं रेलवे अधिनियम संशोधन 2008 के प्रावधानों के आधार पर किया गया है। अतः आप का यह बिन्दु अभिनिर्णय को प्रभावित नही करता है। आप अपने कथन की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे।

DA: As above.

6/9/13

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to: CPM/Kanpur

6/9